

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक एक 5 (31) चिकि.स्वा./ग्रुप-3/10

जयपुर दिनांक 28 JUL 2010

—: आदेश :-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एस.एल.पी. संख्या 5283/2001 राजस्थान सरकार बनाम सुशील शर्मा मे निम्न आदेश पारित किया गया है :-

"The rules make it quite clear that any person who goes on a study leave would be entitled to only half the salary. In the present use neither the respondents were sent on deputation nor were they required to continue to discharge their existing duties in addition to their undertaking the course of study. This being the position, the respondents were not entitled to receive any salary in addition to one contemplated by rule 112 read with rule 97 as amended in 1979. As far as the argument placed on article 14 is concerned, it is now being well-settled that two wrongs don't make a right. Merely because some other office has been given an unwarranted favor can be no ground for the rules being allowed to be violated and payment made out of the public exchequer when it is not due while allowing these appeals, we should also expect the applicant state to see that rules are not circumvented or violated as seem to have been done in cases other than those of the respondents.

With these observations, the appeals are allowed and the decision of the High Court are set aside."

राजकीय सेवारत कार्मिकों हेतु राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 112 मे अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है, जो निम्नानुसार है :-

Rule 112 :- Condition for grant of Study Leave : (1) Study leave shall be granted to enable a Government servant :-

(1) to pursue a course of study or investigation of a scientific or technical nature either in India or outside India provided that it is certified by the authority competent to sanction that the grant of study leave will be in the interest of the working of the department or the service to which the Government servant belongs.

The authority Competent to grant study leave shall ensure that it is not granted to a Government servant with such frequency work or to cause cadre difficulties owing to his as to remove him from contact with his regular absence on leave. A period of 12 months at one time should ordinarily be regarded as a suitable maximum and should not be exceeded save for exceptional reasons.]

1 [(ii) The total period of study leave during the entire period of service of a Government servant shall not be more than 24 months. It may be taken in one spell or more than one spell. Study leave may be combined with other kinds of leave, but in no case shall the grant of this leave in combination with leave, other than extra-ordinary leave, involve a total absence of more than twenty-eight months from the regular duties of the Government servant.]


2[(2) Study Leave is extra leave on half pay and leave salary during such leave shall be regulated in accordance with Rule 97 (2).]

प्रकरण को वित्त विभाग को रेफर किये जाने पर वित्त विभाग द्वारा आई.डी.कमांक 101002602 दिनांक 13.07.10 पर निम्नानुसार राय दी गई है :-

" उच्च अध्ययन के लिए राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार अध्ययन अवकाश का प्रावधान है परन्तु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमों के विपरीत कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति दी जा रही है। पूर्व में भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से इस संबंध में सहमति हेतु पत्रावली प्राप्त होने पर नियमों के परिप्रेक्ष्य में उच्च अध्ययन पर प्रतिनियुक्ति नहीं मानने हेतु सलाह दी जाती रही है।

..... उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक विभाग को विचाराधीन प्रकरण में पुनः सलाह दी जानी उचित होगी कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स हेतु चयनित राज्य कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं मानते हुए, अध्ययन अवकाश की अनुज्ञेयता के अध्याधीन राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 110 के प्रावधानों के अनुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाना चाहिए। "

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर में राजकीय सेवारत कार्मिकों को पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स हेतु प्रतिनियुक्ति पर माने जाने संबंधी इस विभाग के आदेश कमांक एफ 10 (8) एम.एण्ड.एच./गुप-3/84 दिनांक 21.12.1986 को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है। भविष्य में समस्त राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स हेतु राजकीय सेवारत कार्मिकों को नियमानुसार अध्ययन अवकाश ही स्वीकृत किया जायेगा।



(वी. एन. शर्मा)

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

कमांक-ई-11/नर्स-2/पो0बे0/10/ 1168

दिनांक-30/07/10

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुप-3) विभाग राज0 जयपुर।
2. निदेशक, आरआरसी/ईएसआई/मोबाईल सर्जिकल युनिट/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय वर्ग।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. समस्त अधीक्षक।
9. प्रधानाचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर/अलवर/भीलवाडा।
10. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
11. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
12. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, (डाकन डोड करे)
13. आदेश पत्रावली।

